Volume: 1 Issue: 15 Pages: 118-126

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 25/October/022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(15):118-126 Accepted: 29/November/2022

महिला यौन कर्मियों की ढलती आयु और नागरिक जीवन की चुनौतियां: कबाड़ी बाजार मेरठ का एक अध्ययन

[*1]Manoj Kumar

[*1]Centre for Women's Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

सारांश

भारत देश में अनेकानेक कानून जिनके उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को गरिमा के साथ मानवाधिकार, सम्मान दिलाना है, पर इनको क्रियाशील रखने वाली व्यवस्था का लाचार प्रयास महिलाओं, कमजोर वर्गों और आदिवासी समूहों के कल्याण परक कार्यक्रम लागू करने में विफल रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशियों के दरवाजे अभी तक उनके लिए नहीं खुल पाए हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर आज भी अत्यधिक कम हैं। राज्यों के आंकड़े बताते हैं, कि साक्षरता और मजदूरी के मामले में महिलाएँ लगातार पीछे चल रही हैं। समाज की सभी महिलाओं में से खासकर सबसे प्रभावित और खतरे के दायरे में महिला यौन कार्य की महिलाएँ आती हैं, कम उम्र के दौरान यौन कार्य में घसीटी गई लड़कियां यौन रोग और यौन हिंसा का अधिक शिकार बन जाती है, इनकी आमदनी तो दलालों, मालिकों, सगे सम्बन्धियों, आदियों द्वारा लुट ही ली जाती हैं। जिसके साथ ही उनका जीवन भी तवाह हो जाता है। भारत देश में 15 प्रतिशत यौन सेविकाएं 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की हैं, और करीब 25 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु की हैं। यौन कार्य को करने वाली प्रत्येक महिला तीन से पांच ग्राहकों को संतुष्ट करती है, कभी इनकी संख्या पांच ग्राहकों से अधिक भी हो सकती है। प्रस्तुत नृवंशवैज्ञानिक अध्ययन मेरठ शहर में महिला यौन कर्मियों पर किया गया है, तथ्यों अनुसार यौन श्रम एक ऐसा कार्य है जिसमें से एक निश्चित (35 वर्ष से 40 वर्ष तक) आयु के बाद अधिकांश महिला यौन कर्मी सेवानिवृत्त हो जाती हैं, और उनको यौन श्रम से खारिज होना पड़ता है, यौन कार्य से सेवानिवृत्त होने की निश्चित आयु एवंम अन्य तथ्य कौन कौन से होते हैं जिस वजह से उनको एक निश्चित आयु के बाद इस कार्य से खारिज होना पड़ता है, इसी के साथ यह भी समझने का प्रयास किया है कि यह यौन कर्मी जो कि वेश्यालय की सेवा से खारिज हो जाती हैं वह कहाँ जाती हैं, और सेवानिवृत्त के बाद उनके रहने के कौन से स्थान होते हैं। यौन कार्य से सेवानिवृत्त के बाद वह अपना जीवन यापन करने हेतु किस तरह के कार्य करती हैं, और इन कार्यों करने के लिए उनके पास कौन से साधन उपलब्ध होते हैं। वेश्यालय आधारित यौन कार्य से सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके बच्चों का सामाजिक जीवन किस तरह का होता और वह किन हालातों में अपना जीवन बिताती हैं।

मूल शब्दः महिला यौन कर्मी, यौन श्रम, देहव्यापार, दलाल, ग्राहक आदि

प्रस्तावना

मेरठ का कबाड़ी बाजार या रेड लाइट एरिया एक ऐसी जगह जिसके नाम मात्र से ही आज भी लोग मुहं फेरने लगते हैं। एक ऐसी जगह जहां न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां देह व्यापार के काले दलदल में धकेल दी जाती थी, और यहाँ के तंग कमरों में बंद यह जिंदगियां गुमनाम अंधेरे के बीच कब खत्म हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, किन्तु हाईकोर्ट के आदेश पर तीन साल पहले इस क्षेत्र में चल रहे कोठों पर पुलिस ने ताला जड़ दिया। यहां अब देहव्यापार भले ही न होता हो लेकिन इस क्षेत्र में बंद पड़े इन भवनों में अब कोई नहीं रहता है। किन्तु ऐसा नहीं है की मेरठ में यौन श्रम मात्र कबाड़ी बाजार स्थित कोठों पर ही होता था, वल्कि मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार की महिला यौन–कर्मियों और इनके ग्राहक और दलालों से यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ यौन कर्मी महिलाएं माधोपुरम, तारापुरी, श्यामनगर, भर्मपुरी आदि मेरठ के स्लम्स स्थानों पर और ऐसे सुनसान स्थानों पर रहती हैं जहाँ पर पुलिस के आने का खतरा कम रहता है, जहाँ पर निवास करने वाले लोग इनके प्रति कम जागरूक होते हैं, ऐसी जगह निवास करने वाले लोग मेहनत मजदूरी आदि के काम में ही लगे रहते हैं। इन यौन कर्मी महिलाओं के यहाँ रहने का औचित्य यह है कि अब इनकी मांग मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर इनकी मांग नहीं है तो यह अब इन स्लम्स क्षेत्रों में रहकर स्वयं और किसी अपनी किसी सहयोगी के साथ छिपकर घरों में यौन कार्य करती रहती हैं। शोधार्थी जब कुछ सूचना दाताओं (ग्राहकों और दलालों) के साथ इन स्लम्स क्षेत्रों में जाने का मौका मिला जहाँ पर अब वह महिला यौन कर्मी निवास करतीं हैं जो कि कभी मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य किया करती थीं और आज यह महिलाएं वहां से आकर इन क्षेत्रों में गुमनामी की जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं। यह महिलाएं यहाँ पर भी अधिकतर यौन कार्य में ही शामिल हैं और जो भी अधिकाँश महिलाएं (शोधार्थी जिन भी महिलाओं तक अपनी पहुँच बना सका) हैं, वह अपने साथ दो से आठ कम आयु की लड़कियां भी रखती हैं, जिनको यह अब यौन कार्य करवाने के लिए साथ रखती हैं। जब शोधार्थी इनके विश्वासपात्र ग्राहकों और दलालों के साथ इनसे मिलने पहुंचा तो इन उम्रदराज महिलाओं ने खूब खुलकर शोधार्थी के साथ अपने जीवन का शुरू से अंत तक अपना अनुभव साझा किये हैं।

***Corresponding Author:** Manoj Kumar

भारत में वैश्यावृत्ति से संबंधित मुख्य कानून Immoral Trafficking Prevention Act 1986 के अनुसार महिला यौन कार्य को कानूनी रूप से अवैध नहीं माना गया है, बशर्ते कि वह गुप्त और निजी तौर पर हो, किन्तु इसमें इसमें शामिल महिलाओं को जिल्लत, पुलिस प्रताड़ना और अनेक अनेक अमानवीय टीस झेलनी पड़ती है। Jean D'Cunha का मानना है, कि 1980–1987 के बीच 9000 से अधिक महिला यौन–कर्मियों को मुम्बई में गिरफतार किया गया। पैसे के सहारे ये बाद में छूट जाती हैं, लेकिन इस प्रकार उनके जीवन की बदहाली को लेखा जोखा नहीं मिलता, कि वह कहाँ जाती हैं और उनका जीवन कहाँ व्यतीत होता है।

महिला यौन कर्मी और उनकी ढलती उम्र

समाज में अभी तक सभी पूर्ववर्ती नजरिया–वेश्यावृत्ति अनुबंध शोषण के रूप में वेश्यावृत्ति मुख्य रूप से मानवीय लिंगभेद को उचित अभिव्यक्ति एवं व्यक्ति और समाज की व्यापक खुशहाली में इसके स्थान की मानदंड संबंधी समझ पर आधारित हैं। इन सभी समझ पर प्रकाश डालना एवं इसके विषमता को दिखाना उपयोगी है क्योंकि अंत में यही समझ वेश्यावृत्ति से निपटने के लिए प्रयोग की जाने वाली रणनीतियों को एक नियामक शक्ति प्रदान कर सकता हैं। वास्तव में किसी भी लिंगभेद की समझ ही उसके द्वारा वेश्यावृत्ति के नैतिक दर्जे का मूल्यांकन निर्धारित करता हैं।

समाज में बहुत सारी संगठित वेश्याएं इस बहस को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि सेक्स को प्यार से अलग करना सिर्फ एक संभावित विकल्प ही नहीं बल्कि एक मनचाहा मुद्दा हैं। Margo St-James के अनुसार सहवास और प्रेम को अलग करना एक अच्छी बात है, क्योंकि रोमांस भी दमनकारी हो सकता है, वेश्याएं ही सिर्फ आजाद महिलाएं है क्योंकि सिर्फ यौन–कर्मियों को ही पुरुषों की तरह मनचाहे पुरुष के साथ हमबिस्तर होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किन्तु कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन कर्मी St-James की इस दलील को खारिज करती हैं और वह कहती हैं कि हम इस समाज में आजाद नहीं हैं बल्कि अभी तक गुलाम हैं एक ऐसी गुलाम जो को गरिमा के साथ समाज में यह भी नहीं बता सकती कि वह क्या काम करती है, जिसको ना सर उठा के जीने का हक है, ना समाज में समानता का हक है तो वह महिला आजाद नहीं हो सकती है, बल्कि वह गुलाम ही हैं। रही बात किसी भी पुरुष के साथ हमबिस्तर होने की तो यदि में चाहूँ की सलमान खान (मात्र कल्पना) के साथ हमबिस्तर हो जाऊं तो नहीं हो सकती क्योंकि वह मेरे साथ ही नहीं हैं। हाँ हम अपने हर उस पुरुष ग्राहक के साथ हमबिस्तर हो सकती हैं जो कि हमारे पास ग्राहक के रूप में आता हैं। St- Jame समाज द्वारा यौन के दोहरे मापदंडों की तरफ रेखांकित करते हुए कहती हैं कि सहवास को प्रेम से अलग करना एक सकारात्मक एवं मुक्ति का विकल्प है जिसे कि पुरुष एवं महिलाओं को समान रूप से दिया जाना चाहिए, St-James की इस बात का समर्थन कई रूपों में महिला यौन–कर्मियों ने इस दलील के साथ किया कि–

"यदि हम अपनी मर्जी से यह काम करते हैं तो सरकार या समाज को इसे कानूनन सही और वैध होने की मान्यता देने में क्या बुराई है, जबकि महिला यौन कार्य समाज की जरुरत भी है, यदि हम ही ना हों तो समाज का संतुलन खराब हो सकता है, समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ जायेंगी जो कि हमारे रहने से बलात्कार जैसी घटनाएं नियंत्रण में रहती हैं और हमको ही समाज में सम्मान नहीं मिलता है। हम यह काम सिर्फ काम समजकर करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको अपने ग्राहकों से प्रेम हो जाता है, वह हमको पैसा देते हैं और हम उनको कुछ समय के लिए अपने शरीर को उनके हवाले कर देते हैं, फिर वह अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, उसके बाद हम उनको कहीं भी नहीं पहचनाते हैं, इसी के साथ यह यौन कर्मी यह भी मानती हैं कि बहुत बार तो हम अपने ग्राहकों की शक्ल तक ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम ग्राहक शक्ल नहीं पैसा देखते हैं।"

इसी के साथ Margo अपनी बात को आगे बढ़ाती हुए कहती हैं कि इस नजरिए से बेमेल और प्रेमरहित यौन–संबंध किसी भी तरीके से अनैतिक नहीं हैं तथा सौंदर्य सिद्धांत के आधार (aesthetic ground) पर भी इसकी कामना की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि उस तरीके की समझ यौन–संबंधो की अभिव्यक्ति को मानव संवाद के अन्य तरीकों से कुछ भी अलग नहीं मानता है और इसका मानना है कि यौन–संबंधो के व्यवहारों में वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विशेष ध्यान की जरूरत है या जिसे किसी खास तरीके के नैतिक मार्गदर्शन की जरूरत हैं। उसी प्रकार से भुगतान के लिए यौन–क्रिया भी अन्य प्रकार की भुगतान सेवाओं से अलग नहीं है, इसलिए वेश्यावृत्ति को सिर्फ एक व्यावसायिक–अनुबंध की तरह देखा जाना चाहिए जो कि यौन के बजाए मुख्य रूप से मुक्त आर्थिक लेन देन से संबंधित हैं।

उस स्थिति में, आमतौर पर उदारवादी–ष्टिकोण के समर्थक यौन–क्रिया और प्रेम के बीच संबंध को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपरिचित भुगतान किया हुआ सहवास या जो भुगतान न हुआ सहवास को किसी व्यक्ति के लिए तर्कशील विकल्प मानने को तैयार होते हैं। भुगतान के लिए किया गया सहवास सामान्य रूप में मजदूरी का एक प्रकार हैं। इसके विपरीत, वेश्यावृत्ति को शोषणकारी प्रतिरूप के समर्थकों का मानना है कि भुगतान के लिए किया गया सहवास मजदूरी के अन्य तरीकों से अलग है, तथा यह महिलाओं के लिए खासतौर पर हानिकारक हैं। उदाहरण के तौर पर, Susan Cole कहती हैं कि मेरा भी यह मानना है कि यौन–क्रिया काम के अन्य तरीकों से अलग है, जिनकी दलील के विषय में जब स्लम्स में रह रही बुजुर्ग महिला यौन–कर्मियों के अनुभब से समझने का प्रयास किया तब यह उन्होंने यह बताया कि–

"हमारे कार्य में और अन्य कार्यों में बहुत फर्क है, अन्य कार्यों में मान सम्मान मिलता है, अधिक पैसा मिलता है, पुलिस और बदनामी का कोई डर नहीं होता है, उनकी कमाई पर सिर्फ उनका ही अधिकार होता है, कोई उनको गाली गलोच नहीं करता है, कोई उनको पीटता नहीं है, कोई और काम ऐसा नहीं है जिसको गाली समझा जाता हो बस हमारा ही एक ऐसा काम है जिसको समाज में गाली समझा जाता है और शायद यह "रण्डी" शब्द दुनियां की सबसे बड़ी गाली हैं। समाज में हम डर, बेइज्जती, नाइंसाफी आदि सब सहन करते हैं, किन्तु फिर भी हमारा सम्मान समाज में नहीं है यही फर्क है हमारे काम में और अन्य कामों में जिसको कोई मुश्किल ही समझ सकता है।"

परन्तु Susan Cole की रुचि इस बात में देखने को मिलती है कि कैसे वेश्यावृत्ति असमानता को लैंगिक बनाता हैं। उनके कुछ तर्कों के अनुसार, भुगतान के लिए किया गया सहवास सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का मुख्य कारण लिंगभेद की सामाजिक संरचना हैं। Laurie Shrage का आगे मानना है कि चेतना या अचेतना में हमारे समाज में हम सेक्स को पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं और यही कारण है कि सामान्य रूप से हम महिलाओं को पुरुषों के द्वारा पीटे जाने, छेड़े जाने, या प्रताड़ित किए जाने की बात सुनते हैं। इस सन्दर्भ में किसी महिला को मात्र यौन–क्रिया की एक वस्तु समझकर उसके साथ बर्ताव करना उस महिला को मानव से कम आंकने जैसा हैं। Shrage के अनुसार, "वेश्याओं को जानवर की स्थिति में खड़ी कर दिया जाता है या उसे मानवीय हितों के लिए एक वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है।" Shrage की यह दलील मेरठ के वेश्यालय से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन–कर्मियों ने कुछ इस तरह समझने की कोशिश की कि–

"साहव हमको कोई इन्सान नहीं मानता हैं। हम तो हांड मॉस के काम चलाऊ सामान हैं। हम जब तक ठीक से चल रहे हैं, तब तक ये लोग भी हम से काम चला रहे हैं, एक समय ऐसा था जब हम अपने इशारों पर मर्दों को घुमाते थे और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको दवाई तक नहीं मिल पाती कोई भी हमारी बीमारी तक के बारे में पूछने वाला नहीं हैं। मैं रज्जो देवी

HIV–संक्रामित हूँ लेकिन मेरी देखभाल के लिए कौन है, कोई भी नहीं ना घर वाले, ना सरकार, और ना ही मेरे चाहने वाले जिनसे कभी मैंने प्यार किया था। तब साहब हम तो एक दिन ऐसे ही मर जायेंगी कोई पूछने वाला नहीं हैं। में यही कहूँगी कि जिस दिन हम खराब (बूढ़े) हों जाएगें उसी दिन यहाँ से (यौन श्रम) से बाहर फेंक दिये जायेगें।" ?

इसी क्रम में Pateman कहती हैं, कि यौन–क्रिया अभिव्यक्ति में लिंगभेद के सामाजिक अभिप्राय को पार पाना आसान नहीं हैं। उदारवादियों के अवधारणा से अलग यह जरूरी नहीं है कि महिलाओं एवं पुरुषों के निजी व्यक्तित्व मैथुन संबंधी अस्मिता को बदली जाएं जिसमें कि लड़कियों एवं लड़कों, महिलाओं एवं पुरुषों को अपने अलग–अलग यौन–क्रिया के अनुभव हो सकते हैं। Pateman का मानना है, कि पुरुषों की विकास प्रक्रिया उनमें महिलाओं पर एवं महिलाओं के खिलाफ एक अलग करने की भावना को बढ़ावा देती है, जो कि बाद में यौन प्रधानता के रूप में शक्ति प्राप्त करता हैं। यदि संक्षेप में समझने प्रयास करें तो Pateman इस बात पर जोर देती हैं कि यह प्रक्रिया इस बात को स्पष्ट तरीके से वर्णन करती है कि, क्यों पुरुष ही महिलाओं के शरीर को वस्तु की तरह सौंपे जाने की मांग करते हैं और क्यों पुरुष ही वेश्यावृत्ति के ग्राहक होते हैं। Pateman के इस सवाल का जबाब मेरठ के स्लम्स में रहने वाली 48 वर्षीय बब्बल रानी इस तरह देती है कि–

"यह दुनिया मर्दों की बनाई हुई है, मर्दों ने ही अपने मजे के लिए औरत को वैश्या बनाया है तो मर्दों द्वारा बनाई गयी वैश्या के ग्राहक मर्द ही होंगे औरत नहीं। किन्तु जब कोई भी औरत जब यौन कर्मी बन जाती है तो यह मर्द उससे भी अपने प्रति गद्दारी बर्दास्त नहीं वल्कि यह चाहते हैं कि किसी भी वैश्या का ग्राहक उसके भगवान की तरह होता है, वह जो चाहें हमको करना चाहिए, वह मर्द जिसने हमको वैश्या बनाया है जितना भी हमको मसले दवाये हमारे मुंह पर थूके या हमारे मुंह पर अपना वीर्य रगड़े या हमारे ऊपर पेशाव करे, हमको कभी भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसके इस प्रकार के सभी कृत्यों को हंस कर सहन करना चाहिए और उसकी इसी मर्दानगी की वाह वाह करनी चाहिए क्योंकि यह दुनिया उसी की बनाई हुई हैं। तब ही हम मर्दों के लिए एक अच्छी और सफल यौन कर्मी हो सकती हैं, जब हम उनकी गालियों को सहन करते हुए मुस्कुराते रहें और ओने ग्राहकों को खुश कर सकें, तभी इस काम में सफल हो सकती हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार शोषण का विरोध करना ही इस काम की सबसे बड़ी कमजोरी है।"

अर्थात महिलाओं एवं पुरुषों के निजी व्यक्तित्व मैथुन संबंधी अस्मिता को बदली जाने की बात पर जोर डालने में कुछ भी परिवर्तनवादी नहीं है बल्कि यह लैंगिक व्यक्तित्व को पुरुषों के अपनत्व के अनुभव के आधार सभी के लिए एक जैसे रूप में सीमित कर देता है। इसी संदर्भ में 46 वर्षीय राजबाला बताती हैं कि–

"साहब जैसे–जैसे हमारी आयु महिला यौन कार्य के काम में बढती है, वैसे वैसे ही हमारी मांग कम होने लगती हैं। हमारे नियमित ग्राहक जिनके विषय में हम सोचते हैं कि यह हमको छोड़कर कभी किसी और यौन कर्मी के साथ नहीं जायेंगे वह हमको छोड़कर किसी और नयी उम्र की लड़की के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। अब उनको हम कितना भी सम्मान दें या प्यार करें उनको कुछ नहीं भाता है, हाँ कभी नियमित ग्राहक होने के नाते हम पर तरस खाकर पर हमको कुछ रूपये दे जाते हैं लेकिन वह भी बहुत कम होता हैं। हर ग्राहक को नयी, सुन्दर और उनके साथ खुलकर मनमानी करने देने वाली लड़की पसंद आती हैं। हमारी उम्र जब 30 को पार करने लगती है तो हमारी यौन बहुत ढीली हो जाती है, उस समय हमारे पास गुदा मैथुन या मुख मैथुन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से हमको बीमारी और संक्रमण बहुत जल्दी लगता है और फिर हम सिर्फ अपना इलाज ही कराते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं।"

इसलिए कहा जा सकता है कि महिला यौन कार्य में शरीर और व्यक्तित्व के बीच संबंध को पूरी तरह से मिथक मानना जिसको कि असानी एवं जल्दी से अस्वीकारा जाता है वह बहुत बार गलत सावित होता हैं।

महिला यौन कर्मी के बीच HIV/AIDS का प्रसार

इसी के साथ समय समय पर महिला यौन कार्य की विभिन्नताओं जैसे कि समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, व्यावसायिक, नैतिक, महिला यौन कार्य का समाज में विस्तार और इसके प्रतिकूल प्रभाव, यौन कार्य और अश्लील (porn) क्षेत्र के बीच संबंध, यौन कार्य की प्रकृति को समझना, महिला यौन कार्य का पैटर्न और इसके प्रति समाज में रुझान, महिला यौन–कर्मियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और इनकी जीवन शैली, महिला यौन–कर्मियों की सामाजिक समस्याएं और इनके बच्चों के संवर्धन की प्रक्रिया, महिला यौन कार्य के मुख्य कारण, समाज में महिला यौन–कर्मियों और यौन कार्य के सामाजिक लक्षण, महिला यौन कार्य और वेश्यालय आधारित महिला यौन–कर्मियों के संगठनों के साथ इनके संबंध, यौन कार्य प्रबंधन, दलाल और महिला यौन–कर्मियों की समस्याओं जैसे पहलुओं समझने के लिए बहुत से अध्ययन हुए हैं, किन्तु 1980 के दशक में जब HIV/AIDS (Human Immunodeficiency virus/Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome) जैसे विषाणु (virus) की पहचान हुई और इसका संक्रमण समाज में व्यक्तियों पर बड़ा तब चिकित्सीय परीक्षा से यह सामने आया की यह एक संक्रमण हैं। इस संक्रमण से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए तो वह अपने शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि HIV– संक्रमित व्यक्ति किसी भी बिमारी जैसे–दस्त, क्षय रोग, निमोनिया, मुहं के छाले, बुखार... आदि से ग्रस्त हो जाता है, और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती हैं। HIV– संक्रमित व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है की उसके शरीर पर दवाइयों का असर भी समाप्त हो जाता हैं। HIV– संक्रमित व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है की एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती हैं।

वैज्ञानिक अनुसन्धानों से यह तथ्य सामे आये की HIV– संक्रमण मुख्य रूप से चार कारणों से फैलता है, जिनमें एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंधों (समलैंगिक–इतरलैंगिक) को सबसे मुख्य कारण माना जाता है अर्थात HIV/AIDS एक STD (Sexual Transfer Diseases) भी है, इसलिए सभी प्रकार के यौन–कर्मियों को जो की एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं को ही सबसे अधिल जिम्मेदार माना गया हैं। यही तथ्य सभी ळवअमतदउमदज त्मचवतजे, NGOs त्मचवतजे व बहुत सारे अध्ययनों से यह सामने आया है की यौन कर्मी ही HIV– संक्रमण फैलाने के लिए हर जगह सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। HIV– की पहचान के बाद भारत में भी NACO (NationalAIDS Control Organisation), UNAIDS व लगभग सभी राज्यों में भी HIV– संक्रमण की रोकथाम करने के लिए StateAIDS Control Societies की स्थापना की गयी।

इसी के साथ बहुत से NGOs, UNAIDS, NACO, ILO, सामाजिक अनुसन्धान कर्ताओं और चिकित्सकीय वैज्ञानिकों ने महिला यौन–कर्मियों और HIV/AIDS के मुद्दों को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं से अध्ययन किये गए। इस समय के दौर में महिला यौन–कर्मियों और HIV/AIDS के मुद्दों को समझने के लिए ना सिर्फ सरकारी और NGOs की रिपोर्ट्स और अध्ययन ही सामने आये बल्कि बहुत सी अकादमी आँकड़े, अनुसन्धान, किताबे और लेख भी लिखे गए जिनमें कि Thomas, Rao Nag (et all), Sharma Nag Ramamurthy, Kakar and Kakar Israni Patton Panda, Chatterjee (et all), Singh, Verma] Pelto (et all), Narain] Ramasubban and Rishyasringa] Shukla , (2007) और Thappa] Singh (et-all) ... आदि इस बात का दावा करते हैं कि–

"Information from persons testing positive for HIV at the Integrated Counseling and Testing Centres across the country during

2009–2010 shows that 87-1 percent of HIV infections are still occurring through heteroSexual routes of transmission- While parent to child transmission accounts for 5-4 percent of HIV cases detected] injecting drug use (1.6%), Men who have SeÛ with Men (1.5%) and contaminated blood and blood products account for one percent" और "Commercial seÛ workers play an important role] especially in the early stages of the epidemic] in every country".

इसी प्रकार इन सभी अध्ययनों से यह तथ्यात्मक रूप से यह निष्कर्ष सामने आया दुनियां में HIV/AIDS फैलाने का मुख्य कारण व्यावसायिक यौन कर्मी हैं। अभी तक के अध्ययनों से यह भी सामने आया कि कंडोम ही मात्र ऐसा उपाय है जिसके साथ यौन संबंध बनाने से HIV– संक्रमण से बहुत हद तक बचा जा सकता हैं। अभी तक समाज में HIV– संक्रमित हुए व्यक्तियों को समाज में लांक्षित माना जाता है और उनके साथ बहुत से सथानों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार समाज के द्वारा किया जाता हैं। इस सभी प्रक्रिया का निष्कर्ष या निकला कि समाज में HIV–संक्रमण को रोकने के लिये जागरूकता लानी चाहिए और समाज में अधिक से अधिक कंडोम का प्रसार करना चाहिए। ताकि HIV/AIDS के विस्तारव पर नियंत्रण पाया जा सकें। दशक 1980 के बाद लगभग अभी तक यौन–कर्मियों और महिला यौन–कर्मियों की दैनिक मूल समस्याओं से हटकर इनको HIV– संक्रमण के लिए जिम्मेदार मानते हुए इस दौर में यौन कार्य को अधिकतर HIV/AIDS के साथ जोड़कर विश्लेषण किया गया।

इसलिए भारत में महिला यौन कर्मी तथा इनसे समाज में फैलने वाले जानलेवा संक्रमण को कम करने हेतु कुछ प्रस्तावों को बनाया गया जैसे–यौन रोग विशेषज्ञ Dr- Gilada के नेतृत्व वाली The South India AIDS Action Programme (SAJJP), Chennai और The Indian Health Organization (IHO), Mumbai ने HIV से बचाव करने वाले Non Government Organizations (NGOs) का प्रतिनिधित्व किया। SAJJP जैसे समूह महिला यौन कर्मी, महिलाओं के साथ–साथ कुछ अन्य High Risk & groups (HRG), जैसे ट्रक–चालकों, नशे का अधिक सेवन करने वालों, तथा अन्य मिश्रित समूहों को अपने HIV–संक्रमण से बचाव अभियान का केन्द्र मानकर काम करती है, किन्तु यह प्रक्रिया खुद अपने आप में एक विवादास्पद प्रक्रिया रही है। इन समुदायों में आकर, यह HIV–संक्रमण बचाव समूह अपनी रणनीतिक रूप से HIV–संक्रमण को एक स्वास्थ्य के मुद्दे की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन इन समुदायों को द्वारा महिला यौन कर्मी, महिलाओं की तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के प्रयास में एकत्रित किया जा सकता था, किन्तु इसके बजाय विशेष रूप से HIV–संक्रमण से बचाव पर ही यह समुदाय अपना ध्यान केंद्रित करतें हैं। निश्चित रूप से इन बचाव समूहों की अपनी रणनीतिक रूप से भारत भर में चल रहे HIV–संक्रमण से व्यक्तियों के बचाव की जरूरत को कम आंकना नहीं हो सकता हैं।

महिला यौन कार्य के सुधार हेतु हाल के प्रस्तावों में जनवरी 1994 में संपन्न conference on women and the law की कार्यवाही इससे संबंधित उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं। सन् 1992 में महिला एवं शिशु कल्याण मंत्रालय ने the national law school of India university Bangalore (NLSIU) को महिला यौन कार्य से संबंधित कानूनी प्रस्तावों को तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। NLSIU ने कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ और चेन्नई के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित कार्य दल के साथ मिलकर इन प्रस्तावों को तैयार किया। कार्य दल के द्वारा सरकार को इन प्रस्तावों को सौंपने से पहले, जनवरी 1994 में NLSIU ने इन प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की जो कि यही बैठक बाद में चलकर conference on women and the law के नाम से जानी गयी।

बैंगलोर में इस प्रयास में सहायता कर रहा छरैम्प से विधि छात्रों और प्राध्यापकों से बने हुए समूह का निष्कर्ष और प्रस्ताव कुछ अलग रूप के साथ आया। संस्थानिक प्रयास से परे (उसी law school) में विधि छात्रों के अन्य समूह ने south asian law schools की एक प्रतिस्पर्धा के लिए वेश्यावृत्ति को एक काम की तरह देखते हुए महिला यौन कार्य से संबंधित मुद्दों पर काम करने का निर्णय लिया। इस मुकाबले में प्रतिभागियों को श्रम, श्रमिक और श्रम के अधिकार से संबंधित विषयों पर अठारह महीने के भीतर एक विधि सुधार प्रस्ताव तैयार करना था। इस प्रकार, एक ही समय में NLSIU के भीतर महिला यौन कार्य के मुद्दे पर तीन अलग–अलग प्रयास किए जा रहे थे। परन्तु conference on women and the law में सिर्फ संस्थान के प्रस्तावों पर ही चर्चा हुई।

सम्मेलन में मुम्बई के St- Xavier's college के एक समाजशास्त्र के प्रध्यापक D'Cunha और मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के क्षेत्र में काम करने वाली बैंगलोर के एक नारीवादी NGOs Vimochana dh Donna Fernandes ने एक नारीवादी–ष्टिकोण रखा। सम्मेलन में, क्'ब्नदीं महिला यौन कार्य के कानूनी रूप से वैध मान्यता मिलने से अपनी असहमति को बार–बार दुहराते हुए सिर्फ महिला यौन–कर्मियों के चाल–चलन को ही कानूनी मान्यता देने की बात कही कि जिसमें उन्होंने बहुत से देशों में यौन कार्य के कैसे रूप हैं इस बात की दलील भी दी, जैसे की उन्होंने ग्राहकों को सजा देने और तरस्करी से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव सम्मेलन के समक्ष रखा। कानूनी सुधार प्रतियोगिता में शामिल रहे विधि छात्रों के समूह ने एक अन्य नारीवादी–ष्टिकोण सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि महिला यौन कार्य के गैर–अपराधीकरण और वैधीकरण का समर्थन करता हैं। दक्षिण–पूर्वी एशिया में यौनिक गुलामी पर बहुत सारे नारीवादी सम्मेलनों में सिरकत करने वाली Donna Fernande ने बार–बार दुहराते हुए कहा है, कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला महिला यौन कार्य यौनिक गुलामी को जन्म देता हैं।

जनवरी 1994 विचार–विमर्श सभा में प्रस्तुत किए गए सभी कानूनी प्रस्ताव कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे, किन्तु अपने मौलिक दर्शन और अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की वजह से वह एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखते थे। उनमें से शामिल कुछ प्रस्तावों को निम्नलिखित स्वरुप के साथ समझने का प्रयास किया गया हैं, जैसे–अनैतिक यातायात निवारण और वेश्याओं के पुनर्वास हेतु विधेयक–1993 के प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी पर प्रतिबंध लगाना, एक क्षतिपूरक योजना के तहत महिलाओं और बच्चों का यौनिक शोषण एवं उनके उत्पीड़न पर प्रतिबंधित लगाना। जिसके माध्यम से वह वेश्यालयों के कोठे–मालिकों, दलालों और ग्राहकों के खिलाफ सामान्य रूप से न्यायायिक रास्ता अपना सकें तथा महिला यौन–कर्मियों को यौनिक उत्पीड़न से उत्पन्न दावों के लिए, जानबूझकर रोगों के संचरण के लिए एवं सुरक्षित यौन–क्रिया के तरीकों को अपनाने से इनकार करने वालों के खिलाफ विशेष हर्जाने की माँग कर सकें। इसके बाद अन्य मुख्य उद्देश्य सामुदायिक पुनर्वास, रोजगार परक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य योजनाओं के विषयों पर केन्द्रित है, जिसमें कि महिला यौन कर्मी महिलाओं के अनिवार्य परीक्षण भी शामिल है, जिसके तहत महिला यौन कार्य में शामिल महलाओं की समस्याओं को कम करना है।

इस प्रकार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिला यौन कार्य में व्याप्त शोषण को कम करते हुए महिलाओं को महिला यौन कार्य में जबरन धकेले जाने से रोकना हैं। इसी के साथ में, यह उन सब महिलाओं लिए भी जो कि महिला यौन कर्मी की तरह काम करना नहीं चाहतीं हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता हैं। इसके अलावा, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए यह विशेष जाँच एवं विवाद समाधान तंत्र की परिकल्पना भी करता हैं। पुनर्वास, HIV–संक्रमण से रोकथाम अभियानों और महिला यौन कर्मी, महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक एवं चिकित्सकीय जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह एक कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताब भी रखता है। किन्तु महिला यौन कर्मी जो कि यहाँ यौन कार्य कर रही हैं के लिए इस तरह के कोई प्रावधान व्यवहार में देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही यहाँ की महिला यौन कर्मी कोई भी कानूनी रास्ता अपना पाती हैं बल्कि यह तो कानून से बहुत अधिक डरती हैं कि हम कहीं पुलिस के झगड़े

में ना फंस जाएँ, इसलिए यह अपने हक के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करती हैं और समाज में शोषण सहती रहती हैं। शहर के विभिन्न स्लम्स स्थानों पर रह रही महिला यौन–कर्मियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि–

"हमारे इनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोई भी सरकारी इंतजाम नहीं हैं, यहाँ पर मात्र HIV– संक्रमण और यौन संक्रमण जाँच की सुविधा यहाँ टीआई के अधिकारियों के द्वारा दी जाती हैं। जब यह महिला यौन कर्मी अपनी HIV– जाँच करने के लिए प्ब्ब् सेंटर जाती हैं, तब जाँच करता इन यौन कर्मी महिलाओं को ऐसे देखता है जैसे कि वह कोई इंसान नहीं हैं।"

यौन कार्य के देह व्यवसाय में समाज के द्वारा शोषित और अभिशप्त महिलाओं से जब पुरुष असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाता है तो सामान्य जनता में HIV– संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए समाज में सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे कार्यक्रम बनाए और लागु किए जाते हैं जिससे की उन्हे देह व्यापार से मुक्त किया जा सके या कम से कम उनके लिए सुरक्षित यौन का प्रबन्ध किया जा सके। अभी तक की अनेक शोधों से यह प्रकाश में आया है कि मुख्य रूप से HIV– संक्रमण फैलने के कारक व्यावसायिक और अव्यावसायिक सामाजिक असुरक्षित यौन सम्बन्ध, कंडोम का इस्तेमाल न होना और महिलाओं की बेवसी है जिस कारण इनको अनजान पुरुषों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पड़ते हैं।

इसलिए समाज में सफलतापूर्वक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि इस समस्या को गहराई से समझा जाए एवं इसकी रोकथाम को समझने के लिए महिला यौन कार्य की दशा, कानून की स्थिति, लेनदृदेन का तरीका, नियमन, स्वास्थ्य, धार्मिक सांस्कृतिक रुकावटो–के संयुक्त प्रभाव, और सामाजिक सेवा की स्थिति का चिन्तन जरूरी है। महिला यौन कार्य में आने वाली लङकियों, महिलाओं के जीवन में यौन कार्य करने से हो रहे सामाजिक परिवर्तन, उनके जीवन में लगातार बने रहने वाले खतरे, और उनके स्वास्थ्य पर हमेशा मडराता आसन्न संकट उन्हें किस तरह कमजोर करता रहता है को समझने की जरुरत हैं।

Allan Brandt HIV/AIDS के सन्दर्भ में कहते हैं कि। प्वै हमारी नीति नियमन के लिए चिन्ता का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच राज्य की भूमिका में एक संगत साम्य स्थापन से टकराते हुए सामाजिक हित और राज्य की पुलिस सत्ता का साथ साथ खडा होना कुछ खास जनों के लिए विचित्र सा अनुभव, कटु दर्द भरा जान पडता है। इन तलहट खास जनों में वेश्यांए यौनचारी ड्रग पीड़ित और कुछ संस्थागत लोग शामिल होते हैं।

Between the Hammer and theAnvil esa Parker महिला यौन कार्य को घरेलू हिंसा से भी अधिक हिंसक काम की तरह देखते हैं। वह महिला यौन कार्य को उपचार अर्थात देखभाल के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत करते हैं, और उसको एक सामुदायिक परिपेक्ष में विस्तार करते हुए, यह जानने का प्रयास करते हैं, कि महिला यौन कार्य आखिर किस प्रकार संचालित होता हैं। अपने अनुभव के आधार पर उनका मानना है, कि बहुत सारी महिला यौन कर्मी Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) से ग्रस्त होती हैं। वह महिलाओं एवं मर्दो के इस PTSD को उन लोगों के PTSD से तुलना करते हैं, जो कि सरकार के द्वारा सताए होते हैं। वैसे सैनिक जो कि PTSD से ग्रस्त होते हैं, वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस वातावरण को छोड़ देते हैं, ताकि वह उन यादों से दूर रह सकें। वैसी महिलाएं जो, कि वेश्यावृत्ति के दिए गए इस अवसाद के घाव से निकलने का प्रयास कर रही होती हैं, तो भी समाज एवं संस्कृति में कुछ हालात उनकी पुरानी यादें ताजा कर सकती हैं। किसी भी पीड़ित और पीड़िता के लिए महिला यौन कार्य के माहौल को त्यागना उसके ठीक होने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। उस माहौल को त्यागने के बाद उनके सामने कठिन चुनोतियां होती हैं, किन्तु Parker यह कहना चाहते हैं, कि वैसे समाज में जहाँ पर महिलाओं के शरीर को सामान बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उनके उस सदमे से बाहर निकलने की सफलता की निश्चितता कम ही रहती है। Hughes के जैसा ही उनके अनुसार इसका समाधान सिर्फ सामाजिक मूल्यों में बदलाव ही हैं। यह डर लोगों में व्याप्त है कि 20 वी सदी के प्रारम्भ से ही वेश्याओ के द्वारा एसटीडी या HIV संक्रमण लोगों में फैलता आ रहा है, किन्तु अभी तक सही आँकड़े नहीं होने के अभाव में यह अनुमान लगाया जाता है कि यौन कार्य HIV–संक्रमण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैप् मुख्य रूप से HIV– संक्रमण फैलने के लिए चार उच्च जोखिम समूह की कुछ खास बातों को जिम्मेदार माने जाते हैंप् महिला यौन कर्मीयों, समलैंगिक पुरुषों, ट्रक ड्राइवरों, और हेरोइन के नशेड़ी, आदियों को समाज में HIV– संक्रमण फैलाने के लिए उच्च जोखिम समूह के रूप में माना जाता है।

अभी तक यौन कार्य को स्वास्थ्य के साथ जोड़कर अध्ययन किया गया है, तो अध्ययन के माध्यम से यह सामने आया कि STD एसटीडी और HIV– संक्रमण के फैलने के प्रश्न को मूल में देखा गया हैप् शोधकर्ताओं ने प्रभावित यौन कर्मी गामी लोगों की नजर से इस प्रश्न की गंभीरता को समझने का प्रयास किया है, न कि यौन–कर्मियों के हित में HIV सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तो आया हमारे सामने लेकिन सतायी गयी महिलाओं– लङकियों के प्रति सजग चेतना का अभाव रहा। देह व्यापार में घसीटी गई महिलाओं पर HIV के अतिरिक्त शारीरिक हिंसा और मनोवेदना का चिन्तन जरूरी है, जिसका सामान्य तौर पर समाज में अभाव पाया जाता हैप् इन यौन–कर्मियों के संपर्क में रहने वाले अधिकतर बेघर लोग, ड्रग खाने वाले और मानसिक रूप से दुर्बल लोगों के साथ ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे की समस्या बड़ा डालते ह।

अभी तक की शोधों से यह साबित नहीं हो पाया है कि HIV/AIDS से फैलने वाली महामारी में मात्र यौन–कर्मियों भूमिका ही मौलिक है Seroprevalence शोध ने यह जाहिर किया है कि एक भू–भाग में देह व्यापार में शामिल और उनके बाहर की महिलाओं दोनों में HIV–संक्रमण पाया जाता है। 1986–87 में किए गये रोग नियंत्रण केन्द्र Centres for Disease Control (CDC), बहुकेन्द्रीय राष्ट्रीय अध्ययन Multicenter National Study (MNS) और अन्य श्रोतो से यह सामने आया है कि वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं की संख्या खास क्षेत्र में ड्रग्स इंजेकशन वाले लोगों से प्रभावित है मिश्रित अध्ययन केन्द्रों पर ड्रग्स प्रभावितों की संख्या 5 प्रतिशत के लगभग थी। HIV प्रभावित महिलाओं में अधिकतर तादात उन महिला यौन–कर्मियों की हैं जिन्हे बिना कीमत के यौन सेवा देनी होती है जैसे–दलाल, मित्र, प्रेमी, रिश्तेदार आदि होते हैं।

महिला यौन–कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त हुए तथ्यों से यह सामने आया कि यह महिलाएँ STD और HIV–संक्रमण से सुरक्षित रहने के सभी उपाए तथा अपने स्वास्थ्य के लिहाज से प्रयोग करती हैं, जैसे कि–

"शीला ने बताया कि मैं अभी कोठों पर काम नहीं करती हूँ लेकिन जब करती थी जब मैं कभी भी ग्राहक के साथ बैठती अर्थात शारीरिक संबंध बनाती थी तो दो–दो कंडोम लगाती थी और आज भी यदि किसी के साथ बैठती हूँ तो दो कंडोम ही लगाती हूँ। इसलिए मुझे आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है। में आगे भी दो कंडोम ही लगाती रहूंगी वो भी निरोध के सरकारी तो मुझे HIV–संक्रमण कैसे फैल सकता है।"

किन्तु बिना कीमत चुकाए यौनाचारियों और उनके द्वारा आने वाले ग्राहको के द्वारा बचाव के उपाए कम देखे गये है, और इन यौन–कर्मियों के नियमित ग्राहक, दलाल, और जिनसे यह महिला प्यार करती हैं वह पुरुष इनको बिना कीमत चुकाए इनके साथ बैठता भी है और इनको कंडोम का भी प्रयोग यौन रोगों से बचाब के लिए नहीं करते हैं अर्थात जो व्यक्ति इन महिलाओं के सवसे निकट होता है इनको यौन संक्रमण पैलने का खतरा भी सबसे अधिक उनसे ही होता है। Patton इसी सन्दर्भ में कहते हैं कि यौन–कर्मियों के ग्राहक STD से बचाव के उपायों को नापसन्द करते हैं, और यौन–कर्मियों को एसटीडी से बचाव के उपायों नहीं

करने देते हैं। इसी के साथ वह असुरक्षित यौन सम्वन्ध बनाने के लिए यौन–कर्मियों को अधिक कीमत भी देते हैं। जैसा कि यौन–कर्मियों ने बताया कि–

"अधिकतर ग्राहक तो कंडोम लगाने को भी मना करते हैं। ऐसा करने के लिए वह हमको कुछ अधिक पैसा भी देते हैं। मैंने पूछा ऐसा वह क्यों करते हैं? तो उन्होने बताया कि कुछ लोगों को बिना कंडोम के करने से ही मजा आता है। वह कहते हैं कि कंडोम लगाकर अच्छा आनंद नहीं आता, तू ऐसे कर 100 रूपये और पकड़ ये कंडोम हटा और बाद में डिटोल सावुन से धो लेना कुछ भी नहीं होगा। हमको ऐसा करने वाला हर दूसरा ग्राहक होता है। हमारे पास तो अधिकतर ग्राहक शराब पीकर आते हैं जिनको कंडोम लगाने का होश ही नहीं होता है, और उनको तो कंडोम भी हमको ही लगाना होता है और जब हम लगा देते हैं तो वह नशे में उसको नीकाल भी देते हैं।"

अभी तक HIV–संक्रमण फैलने के मुख्य कारणों को खोजने के बहुत प्रयासों के बाद यह एक मुख्य निष्कर्ष निकलता है कि HIV फैलाने में वेश्याओं की भूमिका होने पर अधिक जोर दिया गया है, अर्थात यह माना जाता है कि समाज में HIV–संक्रमण फैलाने के लिए महिला यौन कर्मी सर्वाधिक जिम्मेदार हैं, किन्तु कभी भी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इन महिला यौन–कर्मियों के ग्राहकों का सैंपल सर्वे करने की भी कोई आवश्कता हैप 1988 मे Cohen और उनके साथियों ने यह बतलाया था की प्रामाणिक तौर पर महिला– यौन कर्मी ही HIV/AIDS फैलाती हैं, यह एक गलत धारणा है। पश्चिम देशों में हुए अध्ययनों से यह पता चलता है, कि प्रभावशाली पुरुष ग्राहक अनेक महिला यौन–कर्मियों के संपर्क में आते हैं, यह एक भ्रामक धारणा हैप इसी के साथ ऐसा मानना भी गलत है, कि महिला यौन–कर्मियों से पुरुष ग्राहकों में HIV–संक्रमण फैलता है, बल्कि यह भी सच है, कि ग्राहकों से महिला यौन–कर्मियों में इसके फैलने की ज्यादा संभावना होती है। इस महामारी में पहले से अब तक अनेक यौन सम्वंधों में महिलाओं से AIDS का फैलाव पुरुषों की तुलना में कम तर पाया गया है। जीव विज्ञान की शोधों में पुरुषों के द्वारा AIDS फैलाने की शक्ति महिलाओं की तुलना में अधिक मानी गयी है।

महिला यौन–कर्मियों के जरिए ही बहु यौन सम्वंधों के कारण ही HIV–संक्रमण का फैलाव होता है इस प्रकार की भ्रामक धारणा महिला वेश्याओं से पुरुष ग्राहक और उनसे उनके महिला–मित्र पत्नियों और बच्चों तक इसके फैले मिथक को एक आम विश्वास में बदल देता है। ठतंदकज का यह मानना है कि 20 वीं सदी के प्रारम्भ से HIV–संक्रमण का एक ही दिशा में बहाव महिला यौन–कर्मियों से ग्राहकों को और एक स्थापित महिला विरोधी भ्रम है, न कि कोई जैविक या वैज्ञानिक तथ्य महिला यौन–कर्मियों द्वारा ही रोग फैलाने की धारणा कई महत्वपूर्ण बातों को सामने लाती है जैसे, कि HIV–संक्रमण फैलाव की घटना ने एक निष्कर्ष दिया महिला यौन कर्मी का जिससे यह संभावना बनती है कि महिला यौन कर्मीयों से संबंध रखने वाले पुरुषों ने महिला यौन–कर्मियों को रोगग्रस्त कर अन्य सामान्य महिलाओं को भी HIV–संक्रमित किया और पुरुषों में सहवास की अधिक क्षमता ने महिला यौन–कर्मियों को कमजोर स्तर पर ला खड़ा किया है।

महिला यौन कार्य से सेवानिवृत्त के बाद उनके निवास और स्वास्थ्य की पुनरुत्पत्ति

समाज में अधिकांशत व्यक्ति AIDS को व्यवहार जनित समस्या मानते हैं, और वह इससे बचाव के लिए व्यवहार को सुधारने की सलाह देते हैंप विद्वानों का विचार है कि है, कि AIDS से बचाव के लिए समाज में व्यवहार को बदलना और संस्कारगत शुद्धि आवयश्क । उपरोंक्त पक्ष व्यवहार परिवर्तन के उपाय, लोंगों की सोच, यौन संबंध के प्रति–ष्टिकोण और ड्रग इस्तेमाल के बारे में मशवरा प्रदान करता हैप असुरक्षित यौन एक व्यक्तिगत निर्णय है, जिसके लिए नियमति और उनके सहयोगियों ने पाया कि महिलाओं ने कंडोम का इस्तेमाल अपने ग्राहकों संबंधी की AIDS पीड़ित न होने की स्थिति में अज्ञानता वश या कंडोम न होने पर या फिर उसका इस्तेमाल न जानने की वजह में नहीं करती है।

यह तरीका व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर आधारित है, महिला यौन–कर्मियों को ग्राहकों से कंडोम इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। महिला यौन–कर्मियों में यह आधिकारिता शिक्षा, मशविरा, और सार्थक पहल से आएगीप मेरठ में अनेक सरकारी और NGOs इस दिशा में कार्यरत हैं, जो कि सामाजिक संस्थायें सत्यकाम, आशा, सहेली, प्रेरणा, सपोर्ट शिक्षा और हस्तक्षेप आदियों से उसका इलाज ढूँढ रही हैं (जो संस्थाएं मेरठ में काम कर रही हैं उनका नाम डालना हैं)। शिक्षा योजनाएँ महिला यौन कार्य के गुण, रोष, प्रकृति उपयोग आवश्यकता आदि की जानकारी दे रही हैं, ताकि HIV–संक्रमण, AIDS और STD रूक सकेप मेरठ में कार्यरत टीआई ने चित्रो, वाल पेंटिंग, किताबों, आदि के माध्यम से HIV– संक्रमण, AIDS और STD को रोकने के लिए कुछ उपाए बताने का काम किया है, जिसमें सुरक्षित यौन संबंध बनाने का तरीका सवसे अधिक प्रचारित किया है, जिसके लिए स्लाइड, सो, कैसेठ, कार्ड और अन्य देखने लायक चीजों के जरिए HIV– संक्रमण, AIDS और STD को रोकने का रास्ता सुझाया गया हैं।

माना जाता है, कि कामवाद और गरीबी का लम्बा इतिहास है जो कि AIDS से पीड़ित व्यक्तियों के दैनिक जीवन को बतलाता है, कि यह पीड़ित व्यक्ति समाज में कितने हाशिए पर होते हैं, AIDS से संबंधित सामाजिक प्रक्रिया उन्हें ग्रस्त करती रहती हैप सामाजिक प्रक्रिया में आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक शक्तियां उनके AIDS फैलाव को बल देती है, अनेकों महिला यौन–कर्मियों को समाज में संस्थागत हिंसा का शिकार होना पङता है, जिसको लगातार जारी रहने से रोकने के उपाय असंतोषजनक साबित होते हैं, जो कि पीड़ितों के बचाव के अनुरूप समाज में काम नहीं कर पाते हैंप समाज में महिला यौन–कर्मियों के लिए सामाजिक सरोकार दमानात्मक बना रहता है, क्योंकि यह महिला यौन कर्मी मौसियों, दलाल, मैडमों और ग्राहकों की संपाति बनी रहती हैं, जिसके अनेक उदाहरण इन महिला यौन–कर्मियों में देखा जा सकता है, तब इन्हें HIV– संक्रमण औए शोषण के खतरे से बचाया नहीं जा सकता है, किन्तु हाँ बचाव के प्रारूप की सफलता को प्रभावपूर्ण रणनीति के जरिए उन पर घटने वाली विपत्तियों के संघर्ष से कम किया जा सकता हैप

HIV/AIDS से प्रभवित लोगों का इलाज जितना आवश्यक है उतना ही यह भी है कि उनको शिक्षित बनाकर, रोजगार देकर, समय पर मुफ्त दवाईयां देकर, आदि से उनका सशक्तिकरण हो सकें ताकि उनके साथ समाज में व्याप्त भेदभाव और कलंक को समाप्त किया जाए, और हर जगह व्याप्त इस संक्रमण के खतरों से लड़ा जा सके, कानूनी प्रक्रिया के सहारे People Livine With HIV/AIDS (PLWA) के खिलाफ कलंक और भेदभाव मिटाकर लड़ा जा सकता हैप PLWA जानकारी और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हे जानकारी प्रदान कर अपनी परिस्थिति से लड़ने के लायक बनाना आवश्यक है, ताकि वे कलंक और भेदभाव से लड़ सकें।

अध्ययन की कार्य पद्धति

शोध अध्ययन की शुरुआत में शोधार्थी ने अपने शोध विषय से संबंधित किताबों, लेखों, सरकारी दस्तावेजों, आदियों को एकत्रित करके उनकी समीक्षा की तथा इसी के साथ–साथ एक वर्ष तक अपने विषय विशेषज्ञ के साथ कोर्स वर्क किया जिसके माध्यम से महिला यौन– कर्मियों के मुख्य मुद्दों को कैसे समझा जाए इस बात की समझ पुख्ता हुई। एक वर्ष तक द्वितीयक श्रोतों के अध्ययन के उपरान्त अपने विषय विशेषज्ञ के सुझावों के अनुसार वेश्यालय आधारित क्षेत्र कबाड़ी बाजार का एक पायलेट अध्ययन किया गया जिसके माध्यम से कबाड़ी बाजार के विषय के बारे में बहुत से तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जिन तथ्यों के माध्यम से बहुत महिला यौन श्रम के विषय में शोधार्थी की समझ और अधिक विकसित हुई।

इसी के साथ साथ शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार पुराना मेरठ के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे मजदूर, यौन–कर्मियों के उनके नियमित ग्राहक, उनको रोजमर्रा के सामान पहुँचाने आने ठेले वाले, उस क्षेत्र मैं काम कर रहे चाय वाले, उस क्षेत्र के दुकानदार, आदियों के साथ ओपन एंडेड विचार–विमर्श, गहन साक्षात्कार और अपने उत्तरदाताओं के एकल अध्ययन के द्वारा तथ्य एकत्रित किये हैं। शोधार्थी ने वहां पर काम करने वाली यौन–कर्मियों, यौन–कर्मियों के दलाल और कोठों की मालकिनों के साथ सहभागी अवलोकन के माध्यम से लगातार एकत्रित तथ्यों की जांच की है, और इसी के साथ शोधार्थी अपने बुनियादी उत्तरदाताओं के साथ लगातार संपर्क में रहा है, जिससे अध्ययन से सम्बन्धित सही तथ्य प्राप्त किये जा सकें।

इसी के साथ शोधार्थी ने लिखित प्राथमिक तथ्यों की जानकारी जैसे–जनसंख्या गणना, जातीय गणना, श्रम में भागीदारी, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, साक्षरता दर आदि जिनका उपयोग अपने शोध अध्ययन में किया है, के लिये लिखित प्राथमिक तथ्य जैसे– भारत की जनगणना, सरकारी विवरण, सरकार की नीति रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदियों का प्रयोग किया है। इसी के साथ शोधार्थी ने द्वितीयक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अकादमी लिखित किताबें, लेख, गैर सरकारी संस्थाओं के विवरण व् रिपोर्ट्स, मेरठ शहर के स्थानीय समाचार पत्रों, मेरठ शहर के स्थानीय पुस्तकालय, दस्तावेजी फिल्म, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली आदि से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ शोधार्थी ने शोध अध्ययन के अंतर्गत जिन महिला यौन–कर्मियों, कोठों की मालकिनों, दलालों, कोठों के वास्तविक नामों, तथा अन्य कोई भी ऐसे तथ्य जो कि महिला यौन कार्य से जुड़े हुए हैं और उनसे उनकी वास्तविक पहचान हो सकती है तो उनके असली (वास्तविक नाम) बदल कर लिखे गए हैं। ताकि भविष्य में कभी भी उत्तराताओं को किसी भी प्रकार की क्षति का पहुंचे।

निष्कर्ष

भारत दुनियाँ में HIV/AIDS के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में HIV–संक्रमित लोंगों की संख्या सबसे अधिक है, और उनकी स्थिति दयनीय भी है, इसी के साथ यहाँ पर HIV–संक्रमित व्यक्तियों की सही संख्या बताना बहुत कठिन हैं। यहाँ पर इन HIV–संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लाखों लाख तक हो सकती हैं। NACO के अनुसार भारत में HIV–संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20,88,638 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,72,663 है, और महिलाओं की संख्या 8,15,975 है। NACO के आंकड़ों के अनुसार भारत में HIV–संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही हैं। किन्तु कुछ अन्य तथ्यों के अनुसार यह भी माना जाता है, कि NACO के द्वारा प्रस्तुत किये गए यह आंकड़े एक सतही आंकड़ों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से व्यक्ति HIV–संक्रमण की जाँच के लिए आते नहीं हैं। भारत में इन यह HIV–संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पश्चिम यूरोप के एक सामान्य देश की संख्या के बराबर है [५] इसी के साथ कुछ NGOs का यह भी दावा है कि HIV–संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चुपचाप अपनी तरफ बिना किसी का ध्यान खींचे अंदर ही अंदर यह भारतीय महामारी लगातार तेजी से समाज में फैल रही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी सावित हो सकती हैं।

तथ्यों के अनुसार यह सामने आया कि जो महिला यौन कर्मी यहाँ पर मालकिन बन जाती हैं किन्तु इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसी के साथ कीच महिलाएं इन्ही कोठों पर इन महिला यौन–कर्मियों की सेवा में लग जाती हैं जैसे की खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, इनके लिए पानी पिलाना आदि, किन्तु यहाँ से जो महिलाएं बूढ़ी होकर चली जाती हैं उनका जीवन शहर की गंदी बस्तियों में व्यतीत होता हैं। यह महिला यौन कर्मी यहाँ पर भी यौन कार्य ही करती हैं किन्तु यहाँ पर इनकी पहचान करना कठिन होता हैं। यहाँ पर इनके पास तक पहुंचने के लिए इनके दलालों और विश्वासपात्र ग्राहकों के साथ ही जाया जा सकता है, किन्तु यहाँ पर भी इनको जीवन यापन करने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।इन महिला यौन–कर्मियों का जीवन कोठों पर हो या यहाँ से खारिज होने के बाद होता कष्टदायक ही है और समाज में इनको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता हैं।

संदर्भ सूची

1. Dreze, Jean, Amartya Sen. India: Economic Development and Social Opportunity, New Delhi: Oxford University Press, 1995, in Geetanjali Misra, Ajay Mahal and Rima Shah, Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience, Health and Human Rights, Volume - 5, No. 1, 2000, p: 92. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior%3A1e6b3f1175ea2a63d165e75f72aeefa3, accessed on 14th June 2017.
2. Mukherjee Krishna Kanta. Flesh Trade: A Report, Ghaziabad, India: Gram Niyojan Kendra, 1989, pp: 1-11.
3. योजना, अनैतिक व्यापार, वर्ष: 52, अंक: 2, फरवरी, 2008, पृष्ठ संख्या 28.
4. Available at: https://www.amarujala.com/photo-gallery/uttar-pradesh/meerut/heart-touching-stories-of-prostitution-will-make-you-cry-man-pulled-her-girl-out-of-prostitution-in-love-from-red-light-area-meerut, accessed on 20th June 2022
5. Misra Geetanjali, Ajay Mahal and Rima Shah. Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience, Health and Human Rights, Volume 5, No. 1, 2000, p: 93. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior:2bf469c5b15e40b8f1fd240a1fd81b67, accessed on 26th March 2017.
6. Overall Christine. "What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work", Signs, Volume 17, no. 4, Summer 1992, pp: 714 – 15. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=excelsior:f776436a41119ec5467cf3f89d32ad34, accessed on 17th june 2017.
7. सविता, अनुराधा, पूनम, लता, संगीता ... आदि महिला यौन कर्मी कांता बाई, शशि बाई, शारदा बाई, नीतू बाई ... आदि कोठे की मालकिन यह मानती हैं कि हमारे द्वारा किये गए कार्य का महत्त्व समाज में है, हमारे बिना समाज में सामाजिक संतुलन नहीं रह सकता है, वल्कि समाज में बलात्कारों की घटनाएं बढ़ जायेंगी इसलिए हमारे कार्य को सरकार कानूनन वैध घोषित कर दे।
8. सोनिया, आरती, शिप्रा, शान्ति, रज्जो... आदि सभी महिला यौन कर्मी यह स्वीकार करती हैं कि यौन कार्य समाज में एक गाली की तरह माना जाता है, जब भी कोई पुरुष किसी महिला को सबसे गन्दी गाली देता है, तो वह हमारे ही श्रम के नाम से गाली दी जाने वाली महिला को संबोधित करता है, किसी और अन्य श्रम के नाम से नहीं, तब हमारे श्रम में और अन्य सभी श्रमों में यही अंतर है कि बाकी सभी कार्य श्रम हैं और हमारा श्रम एक गन्दी और भद्दी गाली है।
9. Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", Journal of Feminist Studies in Religion, Volume – 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 32. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.
10. Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" Ethics, Volume 99, Number 2, January 1989, p: 356. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=excelsior%3Ac4ffc0fbaaed3479dd3c1baa93b471b7, accessed on 16th March 2017.

11. रज्जो देवी 54 वर्षीय HIV- संक्रामित मेरठ के कोठों से यौन कार्य से सेवानिवृत्त महिला है, जो कि आज मेरठ के स्लम्स क्षेत्रो में अपना गुमनाम जीवन बिता रही हैं। इन्होंने अपने अनुभब शोधार्थी के साथ साझा किये और बताया कि समाज में महिला यौन कर्मी अपना श्रम भी छिपकर करती है और उससे सेवानिवृत्त होने के बाद बाद भी समाज में छिपकर ही अपना जीवन व्यतीत करती है, तब ऐसे कार्य को समाज में किस प्रकार से श्रम कह सकते हैं जिसमें शामिल होने के बाद महिलाएं अपने जीवन भर समाज में छिपकर ही रहें और किसी को यह न बता सकें कि मैं एक वैश्या थी और मैं आज एक वैश्या हूँ।
12. बब्बल रानी 48 वर्षीय महिला जो कि अब कबाड़ी बाजार के कोठों से बाहर हो चुकी है और मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में गुमनामी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, का अपने यौन श्रम के अनुभब के अनुसार कहना है कि यह दुनियां पुरुषों ने बनाई है और पुरुषों ने ही इस दुनिया में अपनी जरूरतों के लिए महिलाओं को यौन कर्मी बनाया है और अब पुरुष ही नहीं चाहते कि हमको समाज में सम्मान मिले इसलिए हमारा जीवन नर्क के समान है।
13. Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" Ethics, Volume 99, Number 2, January 1989, p: 351-53. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=excelsior%3Ac4ffc0fbaaed3479dd3c1baa93b471b7, accessed on 16th March 2017.
14. मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में रहने वाली 46 वर्षीय राजबाला बताती है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी मांग बाजार में कम हो जाती है। यदि हम हमेशा जवान रहें तो यह संभव है कि हमारी मांग बाजार में कभी भी कम ना हो किन्तु यह संभव नहीं है।
15. Thomas, Gracious. AIDS in India. New Delhi: Rawat Publications, 1994 & Thomas Gracious. HIV Education and Prevention: Looking Beyond the Present, Delhi: Shipra Publications, 2001 & Thomas, Gracious. AIDS and Family Education, Jaipur and New Delhi: Rawat Publications, 1995.
16. Rao, Asha, Moni Nag (et all). "Sexual Behaviour Pattern of Truck Drivers and their Helpers in Relation to Female Sex Workers". Indian Journal of Social Work, LV(4), 1994. Available at: http://ijsw.tiss.edu/greenstone/collect/ijsw/archives/HASHd8d2/0cbe7a9d.dir/doc.pdf, accessed on 08th February 2018.
17. Sharma, Savita. AIDS A Threat to Human Race, New Delhi: Commonwealth Publishers, 1998 & Sharma, Savita. AIDS and Sexual Behaviour. New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation, 1996.
18. Nag Moni. Sexual Behaviour and AIDS in India, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996.
19. Ramamurthy V. Guidance and Counselling of HIV/AIDS, Delhi: Authors Press, 2004 & Ramamurthy, V. AIDS and the Human Survival, Delhi: Authors Press, 2000 & Ramamurthy, V. Global Patterns of HIV/AIDS Transmission. New Delhi: Authors Press, 2000.
20. Kakar, D. N. and S.N. Kakar. Combating AIDS in the 21st Century: Issues and Challenges, New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2001.
21. Israni, A. S. HIV/AIDS and STD An Information Manual, New Delhi: Commonwealth Publishers, 2001.
22. Patton ,Cindy. Globalizing AIDS. New York: University of Minnesota Press, 2002.
23. Panda, S.A. Chatterjee and A.S. Abdual–Quader. Living With the AIDS Virus–The Epidemic and The Response in India. New Delhi: Sage Publication, 2003.
24. Singh, P. K. Brothel Prostitution in India, Jaipur: University Book House Pvt Ltd, 2004.
25. Verma K. Ravi, Pertti J. Pelto (et all). Sexuality in the time of AIDS, New Delhi: Sage Publication, 2004.
26. Narain, J. P. AIDS in Asia: the Challenge Ahead, New Delhi: Sage Publications, 2004.
27. Ramasubban Radhika and Bhanwas Rishyasringa. AIDS and Civil Society. New Delhi: Rawat Publication, 2005.
28. Shukla, Rakesh. "Women with Multiple Sex Partners in Commercial Context". Economic and Political Weekly, Volume–42, No. 1, January. 06–January 12, 2007, pp: 18–21. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4419103.pdf?refreqid=search%3A07fcdbcfecc4c2e9489bd3220fded20e, accessed on 12th March 2017.
29. Thappa, D. Mohan, N.Singh(et. all). "Prostitution in India and its role in the spread of HIV infection". Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases, Voume – 28, No. 2, July–Ddecember 2007. Available at: http://medind.nic.in/ibo/t07/i2/ibot07i2p69.pdf, accessed on 18th July 2017.
30. NACO. Annual Report 2009-10, New Delhi: Department of AIDS Control, Ministry of Health&Family Welfare Government of India, 2010, pp: 4-5
31. Singhal Arvind and Everett M. Rogers. Combating AIDS Communication Strategies in Action. New Delhi: Sage Publication, 2003, p: 72.
32. Ibid
33. D'Cunha Jean. The Legalization of Prostitution: A Sociological Inquiry into the Laws Relating to Prostitution in India and the West, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1991, Site by Prabha Kotiswaran: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, Boston College Third World Law Journal, Volume – 21, Issue – 2, Article – 1, p: 171. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.
34. p: 184.
35. Government of India: The Prevention of Immoral Traffic and the Rehabilitation of Prostituted Persons Bill, 1993, Site by Prabha Kotiswaran: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, Boston College Third World Law Journal, Volume – 21, Issue – 2, Article – 1, p: 171. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.
36. National Law School of India. University, Much Heat, Not Enough Light-Our Expedences with Sex Workers in Karnataka, Memorandum from the, to the Second All-India Community-Based Law Reform Competition, 1993, pp: 101-28.
37. Kapur Ratana and Brenda Cossman. "Feminist Engagements with the Law in India", In Mala Khullar (ed.). Writing the Women's Movement A Reader, New Delhi: Kali for Women, 2005, review by S. P. Sathe, Economic and Political Weekly, Volume - 31, No. - 41/42, October 12-19, 1996, pp: 2804 – 2805. Awailable at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4404681.pdf?refreqid=excelsior%3A3d47644a72782881b81f27f722cf566f, accessed on 20th May 2017.
38. D'Cunha Jean. The Legalization of Prostitution: A Sociological Inquiry into the Laws Relating to Prostitution in India and the West, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1991, pp: 3-8.
39. Government of India: The Prevention of Immoral Traffic and the Rehabilitation of Prostituted Persons Bill, 1993.
40. रानी, कविता सुनीता, अनीता, बबिता, हेमा, काजल, उषा, पुष्प, कंचन... आदि जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मी तथा नीलम, सोनिया, कविता, बबिता जो कि स्लम्स क्षेत्रों में यौन कार्य कर रही हैं, के द्वारा बताया गया कि हमारे साथ अस्पतालों में जब हम HIV-संक्रमण की जाँच के लिए जाते हैं तब वहां पर कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिस कारण हम HIV-संक्रमण की जाँच करवाने से कतराते हैं।

41. Stachowiak A. Julie, Susan Sherman, Anya Konakova, Irina Krushkova, Chris Beyrer. "Health Riska and Power among Female Sex Workers in Moscow", In Martha E. Kempner, M.A., SIECUS Report, Sex Workers: Perspectives in Public Health and Human Rights, New York, Volume 33, no. 2, 2005, p: 18. Available at: http://sexworkersproject.org/downloads/SIECUS2005.pdf, accessed on 24th December 2016.
42. Ibid
43. Ibid
44. Allan, M. Brandt. No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880. New York: Oxford University Press, 1987, p: 195 in Mary Irvine Source, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, Berkeley Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 63, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.
45. Eisele Sarah. Views of Sex Trafficking and Prostitution, Available at: http://www.essaydocs.org/views-of-sex-trafficking-and-prostitution-sarah-eisele.html, accessed on 14th April 2017.
46. Mary Irvine Source, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, Berkeley Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 63, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.
47. Ibid
48. Farley Melissa and Howard Barkan. Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder, Women and Health, Volume 27, Number -3, 1998, p: 46. Available at: http://www.prostitutionresearch.com/Farley%26Barkan%201998.pdf, accessed on 14th May 2016.
49. Mary Irvine Source, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, Berkeley Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 66, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.
50. 38 वर्षीय शीला जो कि अब मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में निवास करती है और अपने साथ तीन चार जवान लड़कियां भी यौन कार्य करवाने हेतु रखती है का कहना है कि मैं किसी भी ग्राहक के साथ दो कंडोम लगाये बिना संबंध नहीं बनाती हूँ और ना ही अपनी लड़कियों को बनाने देती हूँ, तब उसका मानना है कि यदि एक फट गया तो दूसरा तो रहेगा इसलिए कोई भी यौन संक्रमण होना संभव नहीं है।
51. Patton, Cindy. Last Served? Gendering the HIV Pandemic: Social Aspects of AIDS, London: Taylor & Francis, 1994, in Mary Irvine Source, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, Berkeley Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 67, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.
52. गीता, मीता, बबली, कंचन, सुन्दरी, संजू ... आदि यौन कर्मियों ने बताया कि कंडोम कोई भी ग्राहक लगाना पसंद नहीं करता है, कुछ ग्राहक तो मात्र बिमारी होने के डर से कंडोम लगते हैं, यदि ऐसा करने से कोई बीमारी ना हो तो कोई भी कंडोम का प्रयोग नहीं करेगा I
53. Mary Irvine Source, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, Berkeley Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 67, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.
54. Ibid
55. Ibid
56. Ibid .
57. Adebajo Bolanle Sylvia, Abisola O. Bamgbala and Muriel A. Oyediran. "Attitudes of Health Care Providers to Persons Living with HIV/AIDS in Lagos, Nigeria", African Journal of Reproductive Health, Volume 7, no. 1, April 2003, pp: 104-105, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3583350.pdf?refreqid=excelsior%3A45b24e74c8cbe9537fac435ad4622407, accessed on 16th May 2017.
58. सिंह वीरेन्द्र (प्रमुख सम्पादक). भारतीय गजेटियर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश शासन जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1994।
59. NACO: State Fact Sheet, Department of AIDS Control, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, March – 2014, p: 9, Available at: http://naco.gov.in/sites/default/files/State_Fact_Sheet_2013_14.pdf, accessed on 22th June 2017.